International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 79-82

मनरेगा का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

सेजल सोनी*

सार

मनरेगा भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में सौ कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक रोजगार उपलब्ध करवाने वाली योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को विकास के साथ–साथ ग्रामीणों का सशक्तीकरण भी किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं में महिलाओं को अधिक रोजगार उपलब्ध होता है जिससे महिलाओं की पारिवारिक आय में वृद्धि होती है और उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण भी होता है। इसलिए वर्तमान अध्ययन ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा की भूमिकाः जयपुर जिले में दूदू ग्राम पंचायत का एक व्यैक्तिक अध्ययन के रूप में किया गया है।

शब्दकोशः *मनरेगा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार सृजन, सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण।*

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को गांवों में उत्पादक श्रम शक्ति की मांग पैदा करने, ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए 'सिल्वर बुलेट' माना जाता है। भारत में ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी पिछले कुछ दशकों के दौरान अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। अशिक्षा, अंधविश्वास, भूखे लोग, कुपोषित बच्चे, एनीमिक गर्भवती महिलाएं, किसानों की आत्महत्या, भुखमरी से होने वाली मौतें, अपर्याप्त रोजगार, गरीबी और सूखे के दौरान फसल उत्पादन की विफलता के कारण होने वाली घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और ग्रामीण बेरोजगारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) योजना का प्रारंभ किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका प्रारंभिक बजाट केवल 11,300 करोड रूपए था जो 2022 में 73 हजार करोड रूपए हो गया। इस योजना के अधिनियम के अनुसार किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार यह एक सार्वभौमिक कार्यक्रम है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था और यह 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है और इसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना है। मनरेगा योजना के तहत रोजगार चाहने वाले सभी श्रमिकों को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं और यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाता है। मनरेगा के तहत, मानव श्रम की जगह लेने वाली मशीनरी का उपयोग कम से कम किया गया है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मजदूरी की दरे समान हैं और लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह एससी, एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी समान अवसर प्रदान करता है।

---

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

उद्देश्य

- दूदू ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की जांच करना।
- दूदू ग्राम पंचायत में रोजगार और महिला अधिकारिता को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करना।
- दूदू ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास के स्तर की पहचान करना।

शोध प्रविधि

अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकडों का उपयोग किया जाता है। दूदू ग्राम पंचायत से मनरेगा के लाभार्थियों से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए। दूदू ग्राम पंचायत से सौ मनरेगा श्रमिकों का चयन यादृच्छिक निदर्शन द्वारा किया गया है। श्रमिकों से सूचना एकत्र करने के लिए सुव्यवस्थित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़े जो पुस्तकों और पत्रिकाओं, इंटरनेट और पंचायत के अन्य प्रकाशित स्रोतों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कराडू आदि से एकत्र किए गए है। एकत्रित आंकड़ों का औसत और प्रतिशत जैसे सरल सांख्यिकीय उपकरण का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था।

मनरेगा का इतिहास

मनरेगा अन्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लगभग 56 वर्षों के अनुभव के बाद आया है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980–89, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) 1983–89, जवाहर रोजगार योजना 1989–1990, रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) 1993–99, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999–2002, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001–2004 राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाएँ थी।

मनरेगा का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करना है– नागरिकों को काम करने का अधिकार देना, अर्थात जहां पहले मजदूरी रोजगार कार्यक्रम नौकरी की कोई गारंटी नहीं देते थे, वहीं इस अधिनियम ने गारंटीकृत नौकरी प्रदान की। वैतनिक रोजगार की यह गारंटी अब पूरे देश में एक समान है जैसा पहले कभी नहीं था। यह टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश के साथ एक विकास पहल है, जिसके बिना ग्रामीण भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। पिछले लगभग सभी कार्यक्रम मांग आधारित न होकर आवंटन आधारित थे। नरेगा, जिसे 2006 में प्रारंभ किया गया था, इस दृ ष्टिकोण से अद्वितीय माना जाता है।?

मनरेगा का प्रमुख तत्व राज्य द्वारा उन लोगों को रोजगार का प्रावधान है जो वैकल्पिक रोजगार खोजने में असमर्थ हैं, जो ग्रामीण बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा जाल का एक रूप प्रदान करता है। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में, किसी को भी श्रमिक के रूप में लगाया जा सकता है जबकि मनरेगा में केवल रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जॉब कार्ड धारकों को ही मजदूरों के रूप में लगाया जा सकता है। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में कोई समय सीमा नहीं है लेकिन मनरेगा में मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा, काम के 15 दिनों के भीतर भुगतान भी किया जाएगा। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में रोजगार की अवधि मनरेगा में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य की अवधि पर निर्भर है, जॉब कार्ड धारक अधिकतम 100 दिनों के लिए काम करता है। इस अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषताएँ श्रम प्रधान कार्य, विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना, महिला सशक्तिकरण, कार्य–स्थल की सुविधा और सबसे ऊपर सूचना के अधिकार के प्रावधान के माध्यम से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हैं। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग गहन निगरानी और तेजी से निष्पादन के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने वाला माना जाता है। बैंक और डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान अन्य अभिनव कदम है जो कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से मस्टर रोल में हेराफेरी को कम करने की संभावना है क्योंकि वास्तविक भुगतान उनकी पहुंच से बाहर हैं। इस प्रकार मनरेगा न केवल एक कल्याणकारी पहल है बल्कि एक विकास प्रयास भी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई समृद्धि की ओर ले जा सकता है।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं

- **राइट बेस्ड–फ्रेम वर्क**

अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को रोजगार मांगने का अधिकार है। उचित सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करेगी। सत्यापन के बाद, ग्राम पंचायत आवेदन के 15 दिनों के भीतर परिवार को एक जॉब कार्ड (सदस्य का विवरण शामिल) फोटो के साथ निःशुल्क जारी करेगा।

- **रोजगार की समयबद्ध गारंटी**

कार्य आवेदन के 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा। एक परिवार अपनी जरूरत के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार का लाभ उठा सकता है।

- **अनुमेय कार्य**

जल संरक्षण, सूखा प्रूफिंग (वृक्षारोपण और वन सहित), बाढ़ सुरक्षा, भूमि विकास, लघु सिंचाई, अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में, किसी को भी श्रमिक के रूप में लगाया जा सकता है।

विश्लेषण

चयनित उत्तरदाताओं में से 21 प्रतिशत 65 वर्ष से ऊपर के है। यह इंगित करता है कि यह वृद्ध समूह को नौकरी की सुरक्षा भी प्रदान करता है। दूदू ग्राम पंचायत में मनरेगा में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम है यानी चयनित जनसंख्या का केवल 02 प्रतिशत। चयनित उत्तरदाताओं में से 71 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के हैं। यह इंगित करता है कि मनरेगा कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार बीपीएल परिवार हैं। प्रतिदर्श उत्तरदाताओं की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत खराब है। केवल 8 प्रतिशत नमूना उत्तरदाताओं के पास उच्च प्राथमिक से ऊपर की शिक्षा है। प्रत्येक वर्ष 75 दिनों से अधिक होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 75 दिनों से अधिक कार्य दिवस मिल रहे हैं।

उत्तरदाताओं में से 61 प्रतिशत ग्राम पंचायत में मनरेगा की वर्तमान कार्य स्थिति से संतुष्ट हैं। 35 प्रतिशत प्रतिदर्श उत्तरदाता इन कार्यक्रमों के बजाय निजी कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। 33 प्रतिशत नमूना उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि मनरेगा के माध्यम से किए गए कार्य ग्रामीण विकास के लिए सहायक हैं। महिला सशक्तिकरण ग्रामीण विकास का प्रमुख संकेतक है।

पंचायत में मनरेगा कार्यक्रम में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सामान्य है अर्थात सौ उत्तरदाताओं में से 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हैं। मनरेगा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नियमित भोजन, ऋण अदायगी, कपड़े, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और नमूना उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। नमूना उत्तरदाताओं में से 66 प्रतिशत ने खाद्य व्यय को पूरा करने के लिए अपनी आय का उपयोग किया और केवल 18 प्रतिशत नमूना उत्तरदाताओं ने बचत के लिए अपनी आय का उपयोग किया।

निष्कर्ष

मनरेगा की परिकल्पना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके प्रत्येक परिवार को प्रदान करने के लिए की जाती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। मनरेगा को राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल मजदूरों के एक वर्ग के जीवनयापन के साधन के रूप में लागू किया गया है। इसने ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से पर्यावरण की सफाई, वनों की कटाई और सड़क संपर्क में लगी महिलाओं में विश्वास और अपेक्षा पैदा की है। योजना की विशाल क्षमता ने गरीबों को उनकी गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता की समस्याओं को काफी हद तक दूर करने में सक्षम बनाया। मनरेगा में महिलाओं की अधिक भागीदारी स्थानीय लोगों की व्यापक स्वीकृति का संकेत है। योजना की ओर लोग। योजना को राज्य में तीन चरणों में लागू किया जा रहा है।

वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या हर साल बढ़ रही है, जॉब कार्ड के लिए पंजीकृत परिवारों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, यह दर्शाता है कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकृत होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का अनुपात भी प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया।

कुछ संकेतकों में वृद्धि और अन्य में कमी आई, लेकिन अधिकांश घटक एक प्रगतिशील तस्वीर में दिखाई दिए। परिवारों की कुल संख्या को रोजगार मिला और 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई। दूदू ग्राम पंचायत में रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पंचायत मनरेगा के माध्यम से बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए सभी प्रचार गतिविधियों का उपयोग करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीधर मेनन, केरल इतिहास का एक सर्वेक्षण, डीसी किताबें, कोट्टायम 2008
2. अमलेश बनर्जी, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय योजना, कनिष्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22
4. दूदू ग्राम पंचायत विकास रिपोर्ट, 2022

❖◆❖